न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः– 10 / अ–19(3) / 2017–18 / 293 बैतूल दिनांक 8 / 1 / 18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, श्री आनंद प्रजापति उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा, बैतूल जिले में बरसाली के भारत के मध्य सूचकांक स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारतमाता की प्रतिमा स्थापित करने व उक्त स्थल पर पौधारोपण कर दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने हेतु मौजा बरसाली स्थित खसरा नंबर 245 रकबा 0.636 हेक्टेयर भूमि वन्देमातरम् संस्था बैतूल को आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2– तहसीलदार बैतूल द्वारा विषयांकित के संबंध में जॉच उपरांत प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई हैः–

(1)– आवेदित प्रयोजन हेतु मौजा बरसाली स्थित खसरा नंबर 245 रकबा 0.636 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा बरसाली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 245 रकबा 0.636 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(3)– दिनांक 14–04–2017 को आयोजित ग्राम सभा में मौजा बरसाली स्थित अखण्ड भारत के केन्द्र बिन्दु (खसरा नंबर 245) पर सांस्कृतिक मंच निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(4)– तहसीलदार बैतूल द्वारा मौजा बरसाली स्थित खसरा नंबर 245 रकबा 0.636 हेक्टेयर में से 0.202 हेक्टेयर भूमि सांस्कृतिक मंच एवं भारत माता की मूर्ति स्थापना के लिए आरक्षित करना प्रस्तावित किया गया है।

3– कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– क्रमांक 1 / 2011 / अधी. / 10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का एवं शासकीय विभागो को भूमि अंतरण के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा बरसाली तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 245 रकबा 0.636 हेक्टेयर में से 0.202 हेक्टेयर भूमि, भारत माता की प्रतिमा स्थापित किए जाने एवं सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आरक्षित की जाती है।

(1)– आरक्षित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी।

(2) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:– 10/ अ–19(3)/2017–18/293 बैतूल दिनांक 8/1/18

प्रतिलिपि:–

1– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर सूचनार्थ।

2– तहसीलदार बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत बरसाली जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.